(1)

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांकः 361 /268/2020/29–2 भोपाल, दिनांक 12 फरवरी, 2020

प्रति,

1. सदस्य सचिव,
   मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग,
   सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. संचालक,
   खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय
   मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन,
   भोपाल।
4. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन,
   पर्यावास भवन, भोपाल।
5. रजिस्ट्रार,
   मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,
   भोपाल।
6. नियंत्रक,
   नापतौल, मध्यप्रदेश।

विषयः– संपत्ति के अंतरण से संबंधित दस्तावेजों पर समुचित स्टाम्प शुल्क की अदायगी सुनिश्चित करने के संबंध में।

——0——

विभाग के अंतर्गत पदस्थ विभागीय अधिकारियों के समक्ष संपत्ति अंतरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत होते हैं। ऐसे दस्तावेज भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 2(14) के अंतर्गत लिखत (INSTRUMENT) की श्रेणी में होने से मुद्रांक अनुसूची 1क में वर्णित दरों अनुसार मुद्रांक शुल्क से प्रभार्य होते हैं। समुचित मुद्रांक शुल्क अदा न किए जाने की स्थिति में ऐसे अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 के अनुसार साक्ष्य में ग्रहण किए जाने योग्य नहीं होते। धारा 35 के संगत प्रावधान निम्नानुसार है–

<u>धारा 35–</u>

"शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत जब तक कि ऐसी लिखत सम्यक रूप से स्टांपित नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने के लिये प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक

(2)

अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं की जायेगी या वह रजिस्टिकृत या अधिप्रमाणित नहीं की जायेगी।"

अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज प्रस्तुत होने पर लोक अधिकारी होने के नाते विभागीय अधिकारियों का यह दायित्व है कि मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 के अनुसार ऐसे दस्तावेजों को परिबद्ध कर शुल्क अवधारण एवं वसूली हेतु जिला पंजीयक (Colloctor of Stamp) को प्रेषित किया जाए। धारा 33 के संगत प्रावधान निम्नानुसार है:–

धारा 33–

"हर व्यक्ति जो विधी द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार रखता है और पुलिस अधिकारी के अलावा लोक कार्यालय का भार साधक हर व्यक्ति जिसके समक्ष उसकी राय में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत उसके कृत्यों के पालन में पेश की जाती है या आ जाती है, उस दशा में उसे परिबद्ध करेगा, जिसमें कि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लिखत सम्यक रूप से स्टांपित नहीं है। इस प्रयोजन के लिये ऐसा हर व्यक्ति ऐसे प्रभार्य और अपने समक्ष पेश की गई या आई हर लिखत की जांच यह अभिनिश्चित करने के लिये करेगा कि जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई या प्रथम बार निष्पादित की गई थी, तब क्या वह भारत में प्रवत्त विधि द्वारा अपेक्षित मूल्य और विवरण के स्टाम्प से स्टांपित थी।"

विभागीय अधिकारियों के समक्ष जो दस्तावेज सामान्यतः प्रस्तुत होते हैं, उन पर स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के प्रावधानों की प्रति संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त अचल संपत्ति के विक्रय/दान/भोग बंधक पर नगरीय क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अधीन 3 प्रतिशत तथा सभी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अधीन विक्रय/दान/बंधक पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य है साथ ही अचल संपत्ति के विक्रय/दान/भोग बंधक तथा 30 वर्ष या इससे अधिक अवधि के पट्टे पर स्टाम्प शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से उपकर भी प्रभार्य है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी पदीय हैसियत के अंतर्गत संपत्ति अंतरण के दस्तावेज निष्पादित किए जाने की स्थिति में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 17 के अनुसार दस्तावेज के निष्पादन के समय इस पर उचित मुद्रांक शुल्क चुकाया जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 62 के अनुसार शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत को सम्यक रूप से मुद्रांकित किए बिना निष्पादित करना अथवा उसपर साक्षी के रूप में अन्यथा हस्ताक्षर करना दण्डनीय अपराध है। ऐसे अपराध के लिए संबंधित निष्पादक/हस्ताक्षरकर्ता से जुर्माना वसूल किए जाने का प्रावधान है। धारा 17 तथा 62 के संगत प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

धारा17–

"शुल्क से प्रभार्य और भारत में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित सभी लिखतें निष्पादन किये जाने के पूर्व या उसी समय स्टांपित की जायेंगी।"

धारा 62--

"जो कोई व्यक्ति शुल्क से प्रभार्य लिखत को उसे समयक रूप से स्टांपित किये बिना निष्पादित करेगा, उस पर साक्षी के रूप में अन्यथा हस्ताक्षर करेगा वह ऐसे अपराध के लिये जुर्माने से जो 500 रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"

अतएव ऐसे शासकीय अधिकारियों को अपराध के दायित्व से बचने के लिए पदीय हैसियत में अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज निष्पादित/गवाह की हैसियत के अन्यथा हस्ताक्षरित करने से पूर्व उसपर समुचित शुल्क की अदायगी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित करें कि संपत्ति अंतरण के दस्तावेज प्रस्तुत होने पर मुद्रांक शुल्क की पर्याप्तता के संबंध में समुचित परीक्षण किया जाकर शुल्क में कमी पाए जाने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

दस्तावेज यदि अन्य पक्षकारों द्वारा निष्पादित होकर किसी कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत हुआ है तो इसपर चुकाए गए मुद्रांक शुल्क की पर्याप्तता के संबंध में शंका होने पर इसे परिबद्ध (impound) कर उचित शुल्क अवधारण एवं कमी शुल्क वसूली हेतु संबंधित जिला पंजीयक को अविलम्ब प्रेषित किया जाए। जिला पंजीयक से कार्यवाही उपरांत दस्तावेज पर इसके उचित मुद्रांकित होने का जिला पंजीयक द्वारा प्रमाणीकरण पृष्ठांकन प्राप्त होने के पश्चात ही ऐसे दस्तावेजों पर आगामी कार्यवाही की जाए।

दस्तावेज यदि शासकीय अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाना है तो इसपर देय समुचित मुद्रांक शुल्क की अदायगी सुनिश्चित की जाए। समुचित शुल्क के संबंध में शंका की स्थिति में संबंधित जिला पंजीयक से दस्तावेज के प्रारूप की प्रति भेजकर मुद्रांक अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज का निष्पादन लोक कार्यालयों के भारसाधक अधिकारियों द्वारा न किया जाए अन्यथा अधिनियम की धारा 62 के अनुरूप उनपर जुर्माना लगाया जाकर दण्डादेश की प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में की जाए।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की उक्त वर्णित धाराओं के संगत प्रावधानों की छायाप्रतियां सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :-उपर्युक्तानुसार।

12/2/2020

(बी.के. चन्देल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खादय, नागरिक आपूर्ति एवं

उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांकः 312 / 268 / 2020 / 29–2 भोपाल, दिनांक 12 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत—

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यक कर विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला पंजीयक मध्यप्रदेश।

12/2/2020

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं

उपभोक्ता संरक्षण विभाग

टिप्पणी

...सिविल या रेवेन्यू किसी भी अधिकारी द्वारा विक्रय का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, स्टाम्प शुल्क प्रभारित ... प्रीमियम वेजीटेबल (प्रा.) लिमि. वि. स्टेट ऑफ एम.पी., 1987 JLJ 550 ।

यह भी देखें- पंचूलाल वि. उजियार, 1959 MPLJ नोट 21 = 1962 JLJ नोट 35 । बालकृष्ण ... बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 1969 MPLJ 827 (पूर्णपीठ) । नाथनसिंह वि. हरचरणलाल, 1983 MPWN ... करुणा वि. राजकिशोर, 1983 AIR उड़िसा 107 ।

30. कतिपय मामलों में रसीद देने के लिए ...।– जो कोई व्यक्ति बीस रुपये की रकम ... अधिक धनराशि या बीस रुपये से अधिक की ... के लिए कोई विनिमय-पत्र, चैक या वचन-... प्राप्त करता है या किसी ऋण की तुष्टि या ... आंशिक तुष्टि में बीस रुपये से अधिक मूल्य की ... जंगम सम्पत्ति प्राप्त करता है, वह ऐसी धनराशि ... पत्र, चैक, वचन-पत्र या सम्पत्ति का संदाय ... करने वाले व्यक्ति द्वारा माँग किये जाने ... के लिए सम्यक् रूप से स्टाम्पित रसीद देगा ।

30. Obligation to give receipt in certain cases.– Any person receiving any money exceeding twenty rupees in amount, or any bill of exchange, cheque or promissory note for an amount exceeding twenty rupees, or receiving in satisfaction or part satisfaction of a debt any movable property exceeding twenty rupees in value, shall, on demand by the person paying or delivering such money, bill, cheque, note or property, give a duly stamped receipt for the same.

... कोई व्यक्ति किसी अग्नि बीमा की किसी ... के किसी नवीनीकरण के लिए किसी प्रीमियम ... प्रतिफल पर उधार प्राप्त करता या लेता है, वह ... प्रीमियम या प्रतिफल के लिए या उधार प्राप्त ... या लेने के एक मास के भीतर उसके लिए सम्यक् रूप से स्टाम्पित रसीद देगा ।

Any person receiving or taking credit for any premium or consideration for any renewal of any contract of fire-insurence shall within one month after receiving or taking credit for such premium or consideration give a duly stamped receipt for the same.

अध्याय 3

स्टाम्पों के बारे में न्याय निर्णयन

CHAPTER III

Adjudication as to Stamps

31. समुचित स्टाम्प के बारे में न्याय निर्णयन.– (1) जब कि कोई लिखत चाहे वह ... निष्पादित हो या न हो और पहले ही स्टाम्पित हो ... या न हो, कलेक्टर के पास लाई जाती है और उसे ... लाने वाला व्यक्ति शुल्क के बारे में (यदि कोई हो) ... जिससे वह प्रभार्य है, उस अधिकारी की राय के ... लिए आवेदन करता है और ऐसी रकम की जो पाँच ... रुपये से अनधिक और पचास नये पैसे से अन्यून ... फीस जैसा कलेक्टर हर एक मामले में निर्दिष्ट ... करता है, तब कलेक्टर उस शुल्क को (यदि कोई

31. Adjudication as to proper stamp.– (1) When any instrument, whether executed or not and whether previously stamped or not is brought to the Collector and the person bringing it applies to have the opinion of that officer as to the duty (if any) with which it is chargeable, and pays a fee of such amount (not exceeding five rupees and not less than fifty naye paise) as the Collector may in each case direct, the Collector shall

हो) अवधारित करेगा, जिससे उसके निर्णय में वह लिखत प्रभार्य है।

(2) इस प्रयोजन के लिए कलेक्टर लिखत की संक्षिप्ति और ऐसे शपथ-पत्र या अन्य साक्ष्य के लिए जाने की अपेक्षा करेगा, जो वह यह साबित करने के लिए आवश्यक समझे कि लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की रकम पर प्रभाव डालने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियाँ उसमें पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित हैं और जब तक कि ऐसी संक्षिप्ति और साक्ष्य तद्नुसार प्रस्तुत न कर दिए जाएँ, वह किसी ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने से इंकार कर सकेगा:

परन्तु–

(क) इस धारा के अनुसरण में दिया गया कोई साक्ष्य ऐसी जाँच के सिवाय जो ऐसे शुल्क के बारे में हो जिससे वह लिखत जो उससे संबंधित है किसी सिविल कार्यवाही में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जाएगा; और

(ख) हर व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दिया जाता है, ऐसा पूरा शुल्क दे देने पर जिससे वह लिखत जो उससे संबंधित है, प्रभार्य है किसी भी ऐसी शास्ति से अवमुक्त कर दिया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन उसने ऐसी लिखत में उपयुक्त किन्हीं भी तथ्यों पर परिस्थितियों को सत्यतापूर्वक कथित न करने के कारण उपगत कर ली हो।

determine the duty (if any) with which judgement, the instrument is charge

(2) for this purpose the Collec require to be furnished within abstra instrument, and also with such affi other evidence as he may deem nece prove that all the facts and circum affecting the chargeability of the ins with duty or the amount of the d which it is chargeable are fully and forth therein, and may refuse to proce any such application until such abst evidence have been furnished acco

Provided that–

(a) no evidence furnished in purs this section shall be used aga person in any civil proceeding in an inquiry as to the duty wi instrument to which it re chargeable; and

(b) every person by whom a evidence is furnished shall, on of the full duty with wh instrument to which it re chargeable, be relieved fr penalty which he may have under this Act by reason of the o to state truly in such instrume the facts or circumstances afo

टिप्पणी

कलेक्टर द्वारा लिखत पर स्टॉम्प शुल्क और शास्ति का निर्धारण चुनौती दिये जाने योग्य है, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 32(3) के अंतर्गत प्रमाण-पत्र दिये जाने से पुनरीक्षण का अधिकार स होता है, जैसा कि म.प्र. राज्य द्वारा संशोधित किया गया धारा 56(4) के अंतर्गत पुनरीक्षण का अधि है, सिर्फ पुनरीक्षण आदेश ही अंतिम होगा। **AIR 2007 SC 2854** ।

लिखत पर समुचित स्टॉम्प शुल्क राशि अदा की गई परंतु उसका विवरण युक्तियुक्त तरी दिया गया, लिखत की नकल परिबद्ध नहीं की जा सकती है और न ही वह परिबद्ध किये जाने से वै करती है। **AIR 2008 SC 166** ।

(ख) किसी ऐसी लिखत पर, जो भारत के बाहर निष्पादित की गई हो या प्रथम बार निष्पादित की गई हो और जो भारत में उसके प्रथम बार प्राप्त किये जाने के तीन के मास का अवसान हो जाने के पश्चात् उसके समक्ष लाई गई हो, या [1][***]

(b) any instrument excluded or executed out of India and broug him after the expiration of three m after it has been first received in or [1][***]

(ग) किसी ऐसी लिखत पर जो दस नए पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार्य है या किसी ऐसे विनिमय-पत्र या वचन-पत्र पर, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित न किए गए कागज पर लिखे जाने या निष्पादन के पश्चात् उसके समक्ष लाया जाता है, या;

(c) any instrument chargeable with not exceeding ten naye paise or an of exchange or promissory note, brought to him, after the drawi execution thereof, on paper not stamped, or;

(घ) किसी ऐसी लिखत पर, जो धारा 3 के परन्तुक के पद (खख) के अधीन शुल्क से प्रभार्य हो तथा उस दिनांक से तीन मास तक अवसान हो जाने के पश्चात्, जिसको वह प्रथम बार मध्यप्रदेश में निष्पादिन की गई हो, उसके समक्ष लाई गई हो, पृष्ठांकन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

(d) any instrument chargeable with under clause (bb) of the first provi section 3 and brought to him afte expiration of three months fron date on which it is first receiv Madhya Pradesh.

टिप्पणी

कलेक्टर द्वारा लिखत पर स्टॉम्प शुल्क और शास्ति का निर्धारण चुनौती दिये जाने योग्य है, क द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 32(3) के अंतर्गत प्रमाण-पत्र दिये जाने से पुनरीक्षण का अधिकार समाप होता है, जैसा कि म.प्र. राज्य द्वारा संशोधित किया गया धारा 56(4) के अंतर्गत पुनरीक्षण का अधिकार गया है, सिर्फ पुनरीक्षण आदेश ही अंतिम होगा। **AIR 2007 SC 2854।**

अध्याय 4
सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें

33. लिखतों की परीक्षा और परिबद्ध किया जाना.– (1) हर व्यक्ति, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार रखता है और पुलिस अधिकारी के अलावा लोक कार्यालय का भारसाधक हर व्यक्ति जिसके समक्ष उसकी राय में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत उसके कृत्यों के पालन में पेश की जाती है या आ जाती है, उस

CHAPTER IV
Instruments not duly stamp

33. Examination and impoundi instruments.– (1) Every person havin law or consent of parties authority to re evidence and every person in charge public office, except an officer of p before whom any instrument chargeab his opinion, with duty, is produced or c

1. सी.पी. और बरार भारतीय स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1939 (क्र. 6 सन् 1939) द्वारा विलोपित।

दशा में उसे परिबद्ध करेगा, जिसमें कि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है :

[1][परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह कलेक्टर को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह किसी ऐसी लिखत को जो कि निष्पादित न किया गया हो, किंतु उस शुल्क का जो कि लिखत पर प्रभार्य हो, अवधारण करने के लिए धारा 31 के अधीन उसके समक्ष लाया गया हो या किसी ऐसी लिखत को, जिस पर कि धारा 32 के अधीन पृष्ठांकन करने के लिए प्राधिकृत है, परिबद्ध करे।]

(2) इस प्रयोजन के लिए ऐसा हर व्यक्ति ऐसे प्रभार्य और अपने समक्ष पेश की गई या आई हर लिखत की जाँच यह अभिनिश्चित करने के लिए करेगा कि जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई या प्रथम बार निष्पादित की गई थी, तब क्या वह भारत में प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित मूल्य और विवरण के स्टाम्प से स्टाम्पित थी।

परंतु–

(क) इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी मजिस्ट्रेट या दाण्डिक न्यायालय के न्यायाधीश से यह अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898[2] के अध्याय 12 या अध्याय 36 के अधीन की कार्यवाही से भिन्न किसी कार्यवाही के अनुक्रम में अपने समक्ष आने वाली किसी लिखत की परीक्षा करे या उसे परिबद्ध करे, यदि वह ऐसा करना ठीक नही समझता;

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में इस धारा के अधीन किसी लिखत की परीक्षा करने और परिबद्ध करने का कर्त्तव्य ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकेगा, जिसे वह न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करें।

(3) शंका की दशा में इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

in the performance of his functions, shall, if it appears to him that such instrument is not duly stamped, impound the same:

[1][Provided that noting contained in this sub-section shall be deemed to authorise the Collector to impound any instrument which has not been executed but is brought to him under section 31 for determining the duty with which the instrument is chargeable or any instrument which he is authorised to endorse under section 32.]

(2) For that purpose every such person shall examine every instrument so chargeable and so produced or coming before him in order to ascertain whether it is stamped with a stamp of the value and description required by law in force in India when such instrument was executed or first executed:

Provided that–

(a) nothing herein contained shall be deemed to require any Magistrate or Judge of criminal Court to examine or impound if he does not think fit so to do, any instrument coming before him in the course of any proceeding other than a proceeding under Chapter XII or Chapter XXXVI of the Code of Criminal Procedure 1898[1];

(b) in the case of a Judge of a High Court, the duty of examining and impounding any instrument under this section may be delegated to such officer as the Court appoints in this behalf.

(3) For the purposes of this section, in cases of doubt–

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 8 सन् 1975 द्वारा (दिनांक 15 मई, 1975 से) अंतःस्थापित।
2. अब देखिये दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)।

(क) राज्य सरकार यह अवधारित कर सकेगी कि किन कार्यालयों को लोक कार्यालय समझा जाएगा; और

(ख) राज्य सरकार यह अवधारित कर सकेगी कि किन व्यक्तियों को लोक कार्यालय का भारसाधक समझा जाएगा।

(a) the State Government may determine what offices shall be deemed to be public offices; and

(b) the State Government may determine who shall be deemed to be persons in charge of public offices.

टिप्पणी

दस्तावेज अपर्याप्त मुद्रांक पर होने से अनुच्छेद 6 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अधिनियम के अनुच्छेद 5 के प्रावधान प्रयोज्य हैं। न्यायालय को निर्देश दिया गया है कि वह अधिनियम के अनुच्छेद 5 के उपबन्धों के प्रभाव में दस्तावेज की ग्राह्यता पर विचार कर मुद्रांक का विनिश्चय करें। **मेसर्स महिन्द्र एण्ड महिन्द्रा फायनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड वि. मेसर्स लाईफ केयर लॉजिस्टिक सोल्युशन एवं अन्य, AIR 2013 M.P. 1**।

सम्पत्ति के उपयोग की प्रकृति को आधार बना कर मुद्रांक की गणना की जाती है। सम्पत्ति क्रय करते समय वह आवासीय उपयोग की सम्पत्ति रही है, उसके पश्चात् उसे वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए काम में लिए जाने मात्र से वाणिज्यिक सम्पत्ति के रूप में मुद्रांक की गणना नहीं की जाएगी। **उत्तरप्रदेश राज्य वि. अम्बरीश टण्डन, 2012(5) SCC 566 (2012) 3 SCC (Civ) 312: AIR 2012 SC 1140; (2012) 1 CTC 556: (2012) 114 Cut LT 759: (2012) 111 AIC 32: (2012) 2 All LJ 369: (2012) 2 LW 336**।

विक्रय प्रतिफल की वसूली हेतु सिविलवाद संस्थित किया गया और उसके अन्तर्गत अपर्याप्त मुद्रांकित विक्रय करार विलेख प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दस्तावेज/लिखत साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने से पूर्व मुद्रांक और शास्ति की अवशेष राशि जमा किए जाने हेतु निर्देश दिया जा सकेगा। अपंजीकृत विक्रय विलेख पर विक्रय विलेख के समान ही मुद्रांक शुल्क देय है। **अविनाश कुमार चौहान वि. विजय कृष्ण मिश्रा, 2009(2) SCC 532 = AIR 2009 SC 1489**।

लिखत की नकल को विधि अनुसार परिबद्ध नहीं किया जा सकता है। स्टॉम्प अधिनियम की धारा 2(14) में मूल लिखत से अभिप्राय है और केवल मूल लिखत को ही धारा 33 एवं 35 के अंतर्गत परिबद्ध किया जा सकता है, उक्त प्रावधान प्रतिलिपि पर लागू नहीं होते हैं। **हरिओम अग्रवाल वि. प्रकाशचंद मालवीय, 2008(1) MPHT 156 (SC)**।

रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले किसी भी विलेख पर न्यून मुद्रांक होने की स्थिति में उसे परिबद्ध कर किया जा सकेगा। लोक सेवक के समक्ष कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर यह आज्ञापक प्रावधान किया गया कि अपर्याप्त मुद्रांक होने पर उसे परिबद्ध कराए। **आंध्रप्रदेश राज्य वि. पी. लक्ष्मीदेवी, (2008)4 SCC 720 = AIR 2008 (SC) 1640**।

अनुचित वर्णन किया गया, परंतु पर्याप्त राशि के आधार पर मुद्रांक किया गया, वह साक्ष्य में ग्राह्य है। अनुचित वर्णन होने के आधार पर जिलाधीश द्वारा उस पर उचित मुद्रांक शुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। यह मूल दस्तावेज के लिए प्रावधान किया गया है। **हरिओम अग्रवाल वि. प्रकाशचंद मालवीय, 2008(I) MPJR SC 1**।

अपवंचन करने के आशय से किया गया था;

offence was committed with an intention of evading payment of the proper duty;

(ख) ऐसे अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय इस धारा के अधीन की गई कोई भी घोषणा किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने के किसी आदेश या धारा 42 के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(b) except for the purposes of such prosecution, no declaration made under this section shall affect the validity of any order admitting any instrument in evidence, or of any certificate granted under section 42.

टिप्पणी

दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने के समय आपत्ति नहीं ली गई और न्यायालय द्वारा उसे साक्ष्य में ग्राह्य किया गया, पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उसकी ग्राह्यता पर आपत्ति अनुज्ञेय नहीं है, धारा 61 के प्रावधान विचार न्यायालय के समक्ष प्रयोज्य नहीं है, अपील के प्रक्रम पर धारा 61 के उपबंध लागू होते है। **AIR 2007 MP 230**।

अध्याय 7
दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया

CHAPTER VII
Criminal Offences and Procedure

62. ऐसी लिखत के, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, निष्पादन आदि के लिए शास्ति.– (1) जो कोई व्यक्ति-

(क) किसी विनिमय-पत्र, जो माँग पर से अन्यथा देय है, या वचन-पत्र को उसे सम्यक् रूप से स्टाम्पित किये बिना लिखेगा, बनाएगा, निर्गमित करेगा, पृष्ठांकित करेगा या अंतरित करेगा या उस पर साक्षी के रूप से अन्यथा हस्ताक्षर करेगा अथवा प्रतिग्रहण या भुगतान के लिए उपस्थित करेगा या उसके लिए दी जाने वाली कोई रकम प्रतिगृहीत करेगा, देगा या उसे प्राप्त करेगा या उसे किसी भी रीति से परक्रामित करेगा; या

(ख) शुल्क से प्रभार्य किसी अन्य लिखत को उसे सम्यक् रूप से स्टाम्पित किये बिना निष्पादित करेगा, उस पर साक्षी के रूप से अन्यथा हस्ताक्षर करेगा; या

(ग) किसी परोक्षी के अधीन, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, मत देने का प्रयत्न करेगा।

62. Penalty for executing, etc., instrument not duty stamped.– (1) Any person)

(a) drawing, making issuing, endorsing or transferring, or signing otherwise than as a witness, or presenting for acceptance or payment, or accepting, paying or receiving payment of, or in any manner negotiating, any bill of exchange payable otherwise than on demand or promissory note without the same being duly staped; or

(b) executing or signing otherwise than as a witness any other instrument chargeable with duty without the same being duly stamped; or

(c) voting or attempting to vote under any proxy not duly stamped;

31

वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परंतु जबकि धारा 35, धारा 40 या धारा 61 के अधीन किसी लिखत की बाबत कोई शास्ति दे दी गई है, तब ऐसी शास्ति की रकम तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति पर जिसने ऐसी शास्ति दे दी है, उसी लिखत की बाबत इस धारा के अधीन अधिरोपित किये गये जुर्माने में से (यदि कोई हो) कम कर दी जाएगी।

(2) यदि शेयर वारण्ट सम्यक् रूप से स्टाम्पित किये गये बिना निर्गमित किया गया है तो उसे निर्गमित करने वाली कंपनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उसके निर्गमित किए जाने के समय उस कंपनी का प्रबंध निदेशक या सचिव या अन्य मुख्य अधिकारी है, जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

63. चिपकाने वाले स्टाम्प को काटने में त्रुटि के लिए शास्ति– यदि कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षित है कि वह धारा 12 के अधीन किसी चिपकने वाले स्टाम्प का काट दे, उस धारा द्वारा विहित की गई रीति से ऐसे स्टाम्प को काटने में त्रुटि करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

64. धारा 27 के उपबंधों का अनुपालन करने में लोप करने के लिए शास्ति.– (1) जो कोई व्यक्ति सरकार को धोखा देने के आशय से–

(क) कोई ऐसी लिखत निष्पादित करेगा, जिसमें वह तथ्य और परिस्थितियाँ, जिनकी बाबत धारा 27 के अधीन यह अपेक्षित है कि वे ऐसी लिखत में उपवर्णित की जाएँ पूर्णत: और सत्यत: उपवर्णित नहीं की गई हैं; या

(ख) किसी लिखत के तैयार करने में नियोजित होने पर या उसके बारे में संबंधित होने पर उसमें सभी ऐसे तथ्य और परिस्थितियाँ पूर्णत: और सत्यत: उपवर्णित करने में उपेक्षा करेगा या लोप करेगा; या

shall for every such offence be punishable with fine which may extend to five hundred rupees:

Provided that when any penalty has been paid in respect of any instrument under section 35, section 40 or section 61 the amount of such penalty shall be allowed in reduction of the fine (if any), subsequently imposed under this section in respect of the same instrument upon the person who paid such penalty.

(2) If a share warrant is issued without being duly stamped the company issuing the same, and also every person who at the time when it is issued, is the managing director or secretary or other principal officer of the company, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

63. Penalty for failure to cancel adhesive stamp.– Any person required by section 12 to cancel an adhesive stamp and failing to cancel such stamp in manner prescribed by that section shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees.

64. Penalty for omission to comply with provisions of section 27.– Any person who, with intent to defraud the Government,–

(a) executes any instrument in which all the facts and circumstances required by section 27 to be set forth in such instrument are not fully and truly set forth; or

(b) being employed or concerned in or about the preparation of any instrument, neglects or omits fully and truly to set forth therein all such facts and circumstances; or

विभाग/कार्यालय में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेज		दस्तावेजों पर देय उचित स्टाम्प शुल्क
1.	विक्रय पत्र (Sale deed)	संपत्ति के बाजार मूल्य पर 5% स्टाम्प शुल्क देय है तथा प्रतिफल राशि का बाजार मूल्य से अधिक होने की दशा में अधिक भाग पर 1% स्टाम्प शुल्क देय है।
2.	विक्रय प्रमाण–पत्र (Certificate of Sale)	संपत्ति के बाजार मूल्य अथवा क्रय राशि में से जो अधिक हो पर 5% स्टाम्प शुल्क देय है।
3.	बंटवारा/विभाजन पत्र (Partition Deed)	
(a)	परिवार में	ऐसी संपत्ति के किए गए अंश या अंशों के बाजार मूल्य पर 0.5% स्टाम्प शुल्क देय है।
(b)	अन्य मामलों में	ऐसी संपत्ति के किए गए अंश या अंशों के बाजार मूल्य पर विक्रय पत्र के समान 5% स्टाम्प शुल्क देय है।
4.	दान पत्र (Gift Deed)	
(a)	परिवार में	विक्रय पत्र का आधा यानि 2.5% स्टाम्प शुल्क देय है।
(b)	अन्य मामलों में	संपत्ति के बाजार मूल्य पर विक्रय पत्र के समान 5% स्टाम्प शुल्क देय है।
5.	निर्मुक्ति (Release)	
(a)	परिवार में	प्रतिफल या बाजार मूल्य में से जो अधिक हो पर 0.5% स्टाम्प शुल्क देय है।
(b)	परिवार से बाहर	हकत्याग की गई संपत्ति का बाजार मूल्य या प्रतिफल में से जो अधिक हो पर 5% स्टाम्प शुल्क देय है।
6.	अनुबंध/करार (Agreement)	
(a)	बिना कब्जे वाला (अचल संपत्ति कि विक्रय से संबंधित)	1,000 (एक हजार रुपए)
(b)	कब्जे वाला (अचल संपत्ति कि विक्रय से संबंधित)	विक्रय पत्र के समान 5% स्टाम्प शुल्क देय है।
(c)	जो अन्यथा उपबंधित न हो	500 रुपए
7.	विनिमय पत्र (Exchange Deed)	अधिकतम मूल्य की संपत्ति के बाजार मूल्य पर विक्रय पत्र के समान 5% स्टाम्प शुल्क देय है।
8.	सहमति विलेख (बिना प्रतिफल) (Consent Deed)	1,000 (एक हजार रुपए)
9.	मुख्त्यारनामा (Power of Attorney)	
(a)	मुख्त्यारनामा जब प्रतिफल के	संपत्ति के बाजार मूल्य पर विक्रय पत्र के समान 5% स्टाम्प शुल्क देय है।

	विभाग/कार्यालय में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेज	दस्तावेजों पर देय उचित स्टाम्प शुल्क
	लिए दिया गया है तथा अभिकर्ता/एजेंट को मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्थाई/अचल संपत्ति को विक्रय, विनिमय या स्थाई रूप से अन्य संक्रांत करने के लिए दिया गया है।	
(b)	मुख्त्यारनामा जब प्रतिफल के बिना दिया गया है तथा अभिकर्ता/एजेंट को मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्थाई/अचल संपत्ति को विक्रय, विनिमय या स्थाई रूप से अन्य संक्रांत करने के लिए दिया गया है।	संपत्ति के बाजार मूल्य पर विक्रय पत्र के समान 5% स्टाम्प शुल्क देय है।
(1)	जब एजेन्ट/अभिकर्ता परिवार का सदस्य है।	1,000 (एक हजार रुपए)
(2)	जब एजेन्ट/अभिकर्ता परिवार का सदस्य नहीं है।	संपत्ति के बाजार मूल्य पर विक्रय पत्र के समान 5% स्टाम्प शुल्क देय है।
(3)	किसी अन्य मामले में	प्राधिकृत किए गए प्रत्येक व्यक्ति के 1,000 रुपए (एक हजार रुपए)।
10.	दत्तक विलेख (Adoption Deed)	2,000 रुपए (दो हजार रुपए)
11.	विवाह प्रमाण पत्र (Mariage Certficate)	100 रुपए (एक सौ रुपए)
12.	विवाह विच्छेद प्रमाण पत्र (Divorce Certficate)	1,000 रुपए (एक हजार रुपए)
13.	भागीदारी विलेख एवं विघटन (Partnership Deed & Disolution)	
(a)	जहां भागीदारी में कोई शेयर नहीं है या जहां शेयर पचास हजार रूपये से अधिक नहीं है।	2,000 रुपए (दो हजार रुपए)
(b)	जहां भागीदारी में शेयर पचास हजार रूपये से अधिक है।	न्यूनतम 2,000 रुपए (दो हजार रुपए) एवं अधिकतक 10,000 रुपए (दस हजार रुपए) के अध्यधीन रहते हुए शेयरों का 2% स्टाम्प शुल्क देय है।
(c)	जहां भागीदारी दस्तावेज में स्थाई संपत्ति शामिल हो।	शामिल संपत्ति के बाजार मूल्य का 2% स्टाम्प शुल्क देय है।
	भागीदारी का विघटन या सेवानिवृत्ति	
(a)	भागीदारी का विघटन होने पर या सेवानिवृत्ति होने पर वह	ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर विक्रय पत्र के समान 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क

	विभाग/कार्यालय में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेज	दस्तावेजों पर देय उचित स्टाम्प शुल्क
	जो स्थाई संपत्ति लेकर आया था से भिन्न किसी भागीदार द्वारा शेयरों से ली जाती है।	देय है।
(b)	अन्य किसी मामले में।	1,000 रुपए (एक हजार रुपए)
14.	न्यास (Trust)	
(a)	जहां संपत्ति का व्ययन हो	तीन चौथाई शुल्क जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के विक्रय पत्र पर लगता है।
(b)	अन्य किसी मामले में।	1,000 रुपए (एक हजार रुपए)
15.	पंचाट (Award)	पंचाट की रकम या पंचाट से संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य में से जो अधिक है पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।
16	नोटरी संबंधी कार्य (पब्लिक नोटरी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में) (Notary work)	50 रुपए (पचास रुपए)
17	शपथ पत्र (Affidavit)	50 रुपए (पचास रुपए)
18	बैंक प्रत्याभूति (Bank Guarantee)	अधिकतम 25,000 (पच्चीस हजार रुपए) के अध्यधीन रहते हुए राशि का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।
19	क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity bonds)	1000 रुपए
20	रद्दकरण (Cancellation)	(1) 500 (पांच सौ रुपए) (2) यदि मूल लिखत पर स्टाम्प शुल्क दिया गया है तो रद्दकरण पर भी मूल लिखत अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा। (3) यदि मूल लिखत पर स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य के आधार पर दिया गया है तो रद्दकरण पर भी प्रचलित बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क देय होगा।
21	किसी दस्तावेज की दूसरी प्रति या प्रतिलेख (Counter part or duplicate)	1,000 रुपए (एक हजार रुपए)
22	घोषणा पत्र (प्रकोष्ठ अधिनियम) (Declaration)	10,000 रुपए (दस हजार रुपए)
23	संशोधन पत्र (जिसके द्वारा कोई सारभूत परिवर्तन न हो)	1,000 रुपए (एक हजार रुपए)
24	पट्टा/किरायेनामा/लीज (Lease)	
(a)	एक वर्ष से कम अवधि के पट्टे	संपत्ति के बाजार मूल्य या देय पूरी रकम में से जो अधिक हो पर 0.01 प्रतिशत

विभाग/कार्यालय में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेज		दस्तावेजों पर देय उचित स्टाम्प शुल्क
		स्टाम्प शुल्क देय है।
(b)	एक वर्ष से अधिक एवं पांच वर्ष तक	प्रीमियम या आरक्षित किए गए औसत वार्षिक राशि का योग या संपत्ति का बाजार मूल्य में से जो अधिक हो पर 0.1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।
(c)	पांच वर्ष से अधिक एवं दस वर्ष तक	प्रीमियम या आरक्षित किए गए औसत वार्षिक राशि का योग या संपत्ति का बाजार मूल्य में से जो अधिक हो पर 0.5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।
(d)	दस वर्ष से अधिक एवं बीस वर्ष तक	प्रीमियम या आरक्षित किए गए औसत वार्षिक राशि का योग या संपत्ति का बाजार मूल्य में से जो अधिक हो पर 1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।
(e)	बीस वर्ष से अधिक एवं तीस वर्ष तक	प्रीमियम या आरक्षित किए गए औसत वार्षिक राशि का योग या संपत्ति का बाजार मूल्य में से जो अधिक हो पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।
(f)	जहां पट्टा तीस वर्ष या अधिक या निश्चित अवधि न हो	प्रीमियम या आरक्षित किए गए औसत वार्षिक राशि का योग या संपत्ति का बाजार मूल्य में से जो अधिक हो पर 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।
25	बंधक विलेख (Mortgage Deed)	
(a)	जब संपत्ति के भाग का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिए जाने के लिए करार किया गया है।	वही शुल्क जो ऐसे दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत राशि के लिए विक्रय पत्र पर 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।
(b)	जहां कब्जा नहीं दिया गया है या दिए जाने की करार नहीं है।	वही शुल्क जो ऐसे दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत राशि के लिए बंधपत्र पर लगता है।
26.	बंधकित संपत्ति का प्रति हस्तांतरण (Reconveyance)	1,000 रुपए (एक हजार रुपए)
27.	व्यवस्थापन (मेहर भी शामिल है) (Settlement)	
(a)	परिवार में	संपत्ति के बाजार मूल्य पर विक्रय पत्र का आधा (2.5 प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क देय है।
(b)	अन्य मामलों में	संपत्ति के बाजार मूल्य पर विक्रय पत्र के समाना (5 प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क देय है।
28	पट्टे का अंतरण (Transfer of Lease)	वही शुल्क जो उस संपत्ति के अंतरण की विषयवस्तु है, के बाजार मूल्य के विक्रय पत्र पर लगता है।
29.	संकर्म संविदा (Work Order)	न्यूनतम 500 रुपए (पांच सौ रुपए) तथा अधिकतम 25,000 (पच्चीस हजार रुपए) के अध्यधीन रहते हुए ऐसे दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत रकम अथवा मूल्य का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।
30	शस्त्र लाइसेंस (Arms/Ammunition Licence)	

	विभाग/कार्यालय में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेज	दस्तावेजों पर देय उचित स्टाम्प शुल्क
(a)	रिवाल्वर एवं पिस्तौल का नवीन लायसेंस	5,000 (पांच हजार रुपए)।
(b)	रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार के नवीन लायसेंस	2,000 (दो हजार रुपए)।
(c)	रिवाल्वर एवं पिस्तौल के लायसेंस का नवीनीकरण	2,000 (दो हजार रुपए)।
(d)	रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार के लायसेंस का नवीनीकरण	1,000 (एक हजार रूपये)।
31.	खनिज पट्टा (Mining Lease)	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी राशि/रकम का 0.75 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।
32.	कंपनियों का विलीनीकरण या समामेलन (Merger of Amalgamation of Companies)	मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थित संपत्ति के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या अंतरित/आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम के योग का 0.5 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो पर स्टाम्प शुल्क देय है।
33.	ऋण के समनुदेशन (Assignment of a debt)	ऋण की राशि का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।
34	(1) सहस्वामी के रूप में पत्नी/पुत्री/पुत्रियों के नाम पृथकतः या संयुक्तः सहस्वामी के रूप में शामिल करना है।	अधिकतम 1000/– स्टाम्प शुल्क देय है।
	(2) सहस्वामी के रूप में पुत्रवधू नाम पृथकतः या संयुक्तः सहस्वामी के रूप में शामिल करना है।	संपत्ति के बाजार मूल्य का 1% स्टाम्प शुल्क देय है।
35.	विकास अनुबंध/निर्माण अनुबंध/ज्वाईन्ट वेन्चर	
(a)	जब विकासकर्ता द्वारा विकसित की जाने वाली संपत्ति या उसके भाग को पृथकतः या संयुक्तः विक्रय किया जाएगा।	विकासकर्ता द्वारा धारित विक्रीत की जाने वाली संपत्ति के अनुपात में भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या शेयर या संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य का 2.5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क, इनमें से जो भी अधिक है।
(b)	अन्य मामलों में	न्यूनतम 1,000 (एक हजार रुपए) के अध्यधीन रहते हुए विकास के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है।

नोट :– स्टाम्प शुल्क की विस्तृत एवं अद्यतित जानकारी पंजीयन विभाग की वेबसाइट www.mpigr.gov.in पर "अधिसूचना" टेब के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है।